

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

शुभदीप बनाम शिवशर्मा वगैरहा

प्रार्थना पत्र संख्या 44 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/3/22	यह प्रकरण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक <u>04/4/22</u> को पेश हो। <i>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर</i>
08/04/22	पत्रावली पेश हुई। <u>वकील प्राणी</u> उपर पत्रावली पूर्वानुसार बास्तो तलबी/जदाब दिनांक <u>29/04/22</u> को पेश हो। <i>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर</i>
29/4/22	<i>आपकी यह प्रार्थना अस्वीकार की जाती है। दिनांक 10/5/22 को पेश हो।</i>
10/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपरिष्ठत। अर्थात् स। व 2 की तलबी प्रतिवादी रजिस्टर्ड नोपिनाते से रिजक्त 02/04/2022 के द्वारा तलबी कावेवाई रजि किन्तु अर्थात् स। व 2 अर्थात् तक उपरिष्ठत नहीं। इनके बार-बार तीन बार अर्थात् लगेवाई लेकिन अशुपरिष्ठत कृतः इनके विरुद्ध एकरफा कार्यवाही कठाल में लगेवाई प्राणी हो वकील प्राणी की एकरफा करस सुनी गई। वकील प्राणी की करस सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर

जाय
1468-69
01-4-22

कार्डिंग पर सा. 44/2021-

शुद्धी हेतु वना राखणार्थ

प्रस्तुत कार्डिंग पर क्षेत्रगत वना 125/12
परिवर्तन हेतु स्वीकार किया जाता है एवं
बादलत अर्थि अवकाश 140 रकबा 2 सप्लायमेंट
ग्राम भादपुरा तहसील जयपुरा (जयपुर)
पर किसी अभावार्थ का सुपड्डा कादेश
ना हो सके. तहसीलवार जयपुरा का
निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अर्थि का
निश्चयानुसार शुल्क जमा कर रोजी पत्रों
की माफ़ी में सीमाशा का पत्रावली
करना सुनिश्चित करें

कादेश की उक्ति तहसीलवार जयपुरा
को फालगुण 15 अण्वारि जाते

पबावली फॉरमल शुभार लेका जका
से काम हो बादलत दायिल 2 पत्रों

निर्णय काज दिनांक 10/05/2021 को शुद्धी
अभावार्थ सुजाया गया।

15/5/21
उपखण्ड अधिकारी
जयपुरा